सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 579 राँची ,शुक्रवार

16 कार्तिक 1936 (श०)

7 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 अक्टूबर, 2014

1. उपायुक्त, गिरिडीह का पत्रांक-628/रा0, दिनांक 31 मार्च, 2010
2. उपायुक्त, धनबाद का ज्ञापांक-1154/रा0, दिनांक 15 अप्रैल, 2013
3. कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का संकल्प सं0-4405, दिनांक 21 मई, 2013
4. श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-327, दिनांक 20 जून, 2014

संख्या-5/आरोप-1-9/2014 का.-10480--स्व0 अरविन्द बल्लभ चौबे, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-674/03), अंचल अधिकारी, गाण्डेय, गिरिडीह के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-628/रा0, दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. स्वेच्छारी रूप में राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना प्रश्नगत गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र सं0-900, 901 तथा 902 निर्गत किया जाना।

2. श्री चौबे द्वारा निर्गत भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र को ही आधार बनाकर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना और उपर्युक्त दोनों को ही आधार बनाकर भू-माफियाओं का प्रश्नगत भूमि की बिक्री में सफल होना।

3. निबंधन के पश्चात् कम्पनी के निबंधित बिक्री विलेख दिनांक 4 जनवरी, 2008 में निहित भूमि के दखल और दखल संबंधी अधिकार विलेख के अन्तर्गत विक्रेता पक्ष के प्राप्त मालिकाना अधिकार के संबंध में पंजी-II से जाँच किये बिना नामांतरण वाद सं0-165/2007-08 में सापेक्ष आधारित स्वीकृति आदेश पारित कर क्रेता पक्ष के नाम से जमाबंदी कायम किया जाना।

4. उपर्युक्त संबंध में किये गये गलतियों पर पर्दा डालने की नीयत से संबंधित मूल अभिलेख/प्रमाण पत्र आदि को गायब किये जाने में प्रथम दृष्टया संलिप्तता।

पुनः स्व0 चौबे के अंचल अधिकरी, गोविन्दपुर, धनबाद के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, धनबाद के ज्ञापांक-1154/रा0, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किये गये, जिन्हें विभाग द्वारा प्रपत्र- 'क' में निम्नवत् गठित किया गया:-

श्री चौबे द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0-12812(vi)/2011-12 में दिनांक-29 मार्च, 2013 को मौंजा बांधडीह, खाता सं0-16 एवं 8, प्लाट सं0-621,623, 626,627,628,629 एवं 630 कुल रकबा 4.00 एकड़ भूमि के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गई । खाता संख्या-16 रैयती एवं खाता संख्या-8 गैर आबाद खाते की भूमि है। जमाबंदी संख्या-19 एवं 20 के सादा रहने एवं उसमें किसी का नाम दर्ज नहीं रहने तथा नाम दर्ज करने का आदेश प्राप्ति के पश्चात् दाखिल खारिज हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का स्पष्ट मंतव्य राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अंकित रहने के साथ-साथ दाखिल खारिज स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कोई अनुशंसा नहीं रहने के बावजूद इनके द्वारा कथित जमाबंदी संख्या-19 एवं 20 में मूल जमाबंदी धारक (बिक्रेता) का नाम दर्ज करने का आदेश हल्का कर्मचारी को दिया गया तथा क्रेता के दाखिल खारिज हेतु आवेदन स्वीकृत किया गया। स्पष्ट है कि प्रश्नगत् दाखिल खारिज वाद द्वारा बगैर खारिज किये हुए दाखिल करने का आदेश पारित किया गया। जमाबंदी संख्या-19 एवं 20 सादा है। इस प्रकार जमाबंदी रैयत का नाम/भूमि विवरणी/लगान आदि का विवरण मौजूद नहीं है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-4405, दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा स्व0 चौबे के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह- संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-327, दिनांक 20 जून, 2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

स्व0 चौबे के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, स्व0 चौबे को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 579–50 ।